मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 520

04.12.2025 को उत्तर के लिए

उत्तराखंड में वनों की कटाई और प्रदूषण से निपटने के उपाय

520. श्री महेंद्र भट्ट :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में वनों की कटाई और प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बोनस के रूप में राज्य को अतिरिक्त सहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(**क**) **से** (**घ**) वनों की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। देश के वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु विधिक ढाँचे उपलब्ध हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; तथा राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियम आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वनों एवं वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है जिनमें उत्तराखंड राज्य के देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर शहर भी शामिल हैं। देशभर के 130 लक्ष्य प्राप्त न करने वाले शहरों तथा मिलियन-प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी बेसिन की समग्र स्थिति में सुधार हेतु जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) शुरू किया गया है। वर्तमान में राज्य की “हरित क्रांति” हेतु किसी विशिष्ट "ग्रीन बोनस" के रूप में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
